



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 104]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 22, 2016/चैत्र 2, 1938

No.104]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 22, 2016/CHAITRA 2, 1938

तेजपुर विश्वविद्यालय

अधिसूचना

तेजपुर, 6 जनवरी, 2016

सं. एफ 12-2/97/( जीए-आई )/वेल्यूम-V/3659.—

अध्यादेश संख्या-21

( समकुलपति की परिलब्धियों एवं अन्य सेवा शर्तों व नियमों पर अध्यादेश )

( मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिनांक 13.10.2015 के पत्र संख्या एफ.14-7/2009-डेस्क ( यू ) द्वारा प्रेषित कुलाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित संशोधन )

1. सम कुलपति के पद के लिए अर्हता एवं योग्यता के अन्य मानदंड इस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के समान होगा ।
2. सम कुलपति के मासिक वेतन का भुगतान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित वेतनमान में किया जाएगा ।
3. सम कुलपति को विश्वविद्यालय की ओर से 'हार्ड फर्नीचर्ड' आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसके लिए वे सामान्य दर पर किराए का भुगतान करेंगे । सम कुलपति मकान किराया भत्ते के हकदार नहीं होंगे ।
4. सम कुलपति को सरकारी ड्यूटी में आने जाने के लिए एक सरकारी गाड़ी उपयोग करने की अनुमति होगी । सरकारी ड्यूटी के अलावा अन्य कार्यों में उनके द्वारा सरकारी वाहन के उपयोग करने पर केंद्र सरकार के नियमानुसार प्रतिमाह उनके वेतन से ₹300/- (तीन सौ रुपए) काटे जाएंगे । सम कुलपति सवारी भत्ता पाने के हकदार नहीं होंगे ।
5. सम कुलपति पर विश्वविद्यालय के अध्यापकों पर लागू छुट्टी नियमावली प्रयोज्य होगी ।

डा. बीरेन दास, कुलसचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./407]

**TEZPUR UNIVERSITY****NOTIFICATION****No. F. 12-2/97(GA-I)/Vol-V/3659.—**

Tezpur, the 6th January, 2016

**ORDINANCE NO. 21****ORDINANCE ON EMOLUMENTS AND OTHER TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE OF THE PRO VICE-  
CHANCELLOR**

(Under Statute 4(3) of the Second Schedule of Tezpur University Act, 1993)

(Amendments as approved by the Visitor vide MHRD letter No. F.14-7/2009-Desk (U), dated 13/10/2015)

1. The qualification and other eligibility criteria for the post of Pro Vice- Chancellor shall be same as that of a Professor of this University.
2. The Pro Vice-Chancellor shall be paid a monthly salary at the scale prescribed by the University Grants Commission.
3. The University shall provide the Pro Vice-Chancellor with hard furnished residential accommodation for which he/she shall pay rent at usual rate. The Pro Vice-Chancellor shall not be entitled for house rent allowance.
4. The Pro Vice-Chancellor shall be allowed to use an official car for attending official duties. The University shall deduct an amount of Rs. 300/- p.m. (Rupees three hundred) only from his salaries as per Central Government Rules for using the official vehicle for purposes other. than official duties. The Pro Vice-Chancellor will not be entitled for transport allowance.
5. The Pro Vice-Chancellor shall be governed by leave rules applicable to teachers of the University.

DR. BEREN DAS, Registrar

[Advt.III/4/38-Exty./15(407)]